(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TPT-A(3)4/2018 DATED 4/6/2019 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348(3)OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TRANSPORT

No. TPT-A(3)4/2018 dated Shimla-171002, the 4/6/**2019**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Motor Vehicle Inspector, Class-III (Non-Gazetted) in the Transport Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement.	1	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh, Transport Department, Senior Motor Vehicle Inspector, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2019.
		(2)	These rules shall come into force form the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Repeal and saving	2	(1)	The Himachal Pradesh, Transport Department, Senior Motor Vehicle Inspector (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No.TPT-B(2)4/94-Vol-14, dated 30th April, 1997 are hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule2(1) supra shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order,
Principal Secretary(Transport) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above Dated Shimla-2, the 4/6/ **2019**

Copy forwarded to :-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Addl. L.R-Cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The All the Head of the Department in Himachal Pradesh.
4. The Secretary, HP. Public Service Commission, Shimla-2.

5. The Director, Transport, Himachal Pradesh, Shimla-4.
6. The Controller, Printing and Stationary, HP. Shimla-5 for publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
7. Guard file(10 spare copies).

(Om Parkash Bhandari)
Deputy Secretary(Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.
Telephone No. 0177-2626097

Annexure- 'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR MOTOR VEHICLE INSPECTOR CLASS-III (Non-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TRANSPORT, HIMACHAL PRADESH

1	Name of Post:	Senior Motor Vehicle Inspector
2	Number of Post(s) :	3 (Three)
3	Classification:	Class-III (Non-Gazetted)
4	Scale of Pay (Be given in expanded notation) :	Pay band ₹ 10300-34800+ ₹4400 Grade Pay.
5	Whether "Selection" Post or "Non-Selection" post:	Non-Selection
6	Age for direct recruitment :	Not-applicable
7	Minimum Educational and other qualification required for direct recruit(s):	a) Essential Qualification (s): Not-applicable b) Desirable Qualification(s): Not-applicable
8	Whether age and educational Qualification prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):	Age: Not-applicable Education Qualification(s): Not-applicable
9	Period of Probation, if any:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment of by promotion/secondment /transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by promotion
11	In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade (s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made:	By promotion form amongst the Motor Vehicle Inspectors who possess 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre.

Explanation I:- For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II:- For the purpose of proviso(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Barmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman,Devgarh Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Cricles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III:- For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

i) All stations beyond the radius of 20 Kms. From Sub Division/Tehsil headquarter.

ii) All Stations beyond the radius of 15 Kms. From State Headquarter *and District head quarters where bus service is not available and* on foot journey is more then 3 (three) Kms.

iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. Of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen **who have joined Armed Forces during the period of emergency** and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment:	Not-applicable
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Not-applicable
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not applicable
18	Power to Relax	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the Provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

****

Director Transport
Addl. Commn./Jt. Comm./RTO
AC (F&A) /AC (T)
Branch Incharge
Estt./STA/Gen/Audit
OA Sh.................

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्याः टी पी टी-ए (3)-4/2018 तारीख शिमला -171002, 4/6/2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाते हैं, अर्थातः-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई- गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी पी टी -बी(2)-4/94 भाग-14 तारीख 30 अप्रैल, 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक, (वर्ग-III, अराजपत्रित), पद भर्ती एवं प्रोन्नति नियम,1997 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव(परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकनः टी पी टी-ए(3)-4/2018 तारीख शिमला -171002, 4/6/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव, विधि, हि0प्र0 सरकार, शिमला-02
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-1 को उनके पत्र स01-2/2019-पी.एस.सी- पार्ट , दिनांक 26-03-2019 के सन्दर्भ में ।
5. निदेशक परिवहन, परिवहन भवन शिमला-4
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,हि0प्र0 शिमला7171005 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू।
7. अतिरिक्त प्रतियां 10।

(ओम प्रकाश भंडारी)
उप सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाष 0177-2626095

उपाबन्ध- क

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक, वर्ग -III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम :	वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक
2	पद (पदों) की संख्या :	03(तीन)
3	वर्गीकरण :	वर्ग -III (अराजपत्रित)
4	वेतनमान : (विस्तृत रूप में अंकित करें)	पै बैण्ड ₹10300—34800 जमा ₹ 4400 ग्रेड पे
5	चयन पद अथवा अचयन पदः	अचयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः	(क) अनिवार्य अर्हता (अर्हताएं): लागू नहीं (ख) वांछनीय अर्हता (अर्हताएं): लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों)की दशा में लागू होगी या नहीं:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं): लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
10	भर्ती की पद्धतिः	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

	भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	
11	प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट /स्थानान्तरण किया जाएगा:	मोटरयान निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाँच वर्ष या उसके कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, पाँच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि उन अधिकारीयों/कर्मचारीयों का, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाय तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I :–उपर्युक्त परन्तु (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II:–उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठ्वाड़ और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सामगाड और खोलानाल, पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उतरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

स्पष्टीकरण-।।: उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित

सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपालकाल की अवधि के दौरान आर्मड फोर्सिस में भर्ती हुआ है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(II) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:	जैसा सरकार द्वारा समय- समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं।
16	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नहीं।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

****